दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 01-07-2025

भास्कर खास | सुप्रीम कोर्ट और नालसा की पहल, प्रदेश में तैयारी पूरी हुई

आज से देशभर में शुरू होगा 90 दिनों का मध्यस्थता अभियान, पक्षकारों की सहमति से केस निपटाए जाएंगे

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

देश की अदालतों में सालों से लंबित लाखों मामलों के जल्द निपटारे के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। 1 जुलाई से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के संयुक्त निर्देशन में "मीडिएशन फॉर द नेशन" नाम से 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की शुरुआत होने जा रही है।

इस अभियान के तहत देश के हर तालुका, जिला और उच्च न्यायालय में वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, उपभोक्ता विवाद, वाणिज्यिक मामले, सेवा विवाद, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, ऋण वसूली, बेदखली, विभाजन और भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों को मध्यस्थता के जरिए सुलझाया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति से अधिकतम प्रकरणों की पहचान करने और संबंधित पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी रिपोर्ट

अभियान को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि न्याय का मतलब सिर्फ फैसला देना नहीं, बल्कि समय रहते समाधान देना भी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस संजय के अग्रवाल के निर्देशन में तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसकी तारीखें तय हो चुकी हैं। अभियान के बाद 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजी जाएगी।